

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन

ग्रामों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु निर्मित परिसम्पत्तियों (आर०आर०सी०, प्लास्टिक बैंक, कचरा पात्र, नाडेफ, वर्मी कम्पोस्ट पिट, कम्पोस्ट पिट इत्यादि) को क्रियाशील एवं कलैक्शन हेतु तैनात कार्मिकों का समय-समय पर उन्मुखीकरण किया जाना अति आवश्यक है। आर०आर०सी० के संचालन हेतु तैनात कार्मिक/स्वयं सहायता समूह को पूर्ण रूप से हैण्डओवर किया जाना उचित होगा क्योंकि सेग्रीगेशन के पश्चात विक्रय किये गये कूड़े एवं वर्मी कम्पोस्ट से अर्जित धनराशि समूह को प्राप्त होगी तो वह और अधिक रूचि के साथ कार्य करेंगे।